निदेश सं 84

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

फा.सं. ए – 110018/01/2021-सी ए क्यू एम/1054 DT दिनांक:-10.10-2024

विषय: धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन, 2024 में उन्मूलन को लक्षित करना - प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के संबंध में।

1. जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करे और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

4. जबकि, धान की पराली जलाना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के कारण गंभीर चिंता का विषय है और आयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और ज्ञान संस्थानों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है;

5. जबकि, आयोग ने दिनांक 10.06.2021 के निदेश के माध्यम से फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण/उन्मूलन के लिए संबंधित राज्यों को एक रूपरेखा प्रदान की थी और प्रमुख रूपरेखाओं के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार करने का निदेश दिया था;

6. जबकि, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी एक्स-सीटू पराली प्रबंधन पर आयोग की ओर से दिनांक 28.07.2021 को एक परामर्श जारी की गई थी;

7. जबकि, आयोग ने 16.08.2021 को जारी निर्देशों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों की सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली की सरकार और पंजाब सरकार को उपग्रह डेटा का उपयोग करके आग की घटना की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए इसरो द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल को अपनाने की भी सलाह दी थी;

8. जबकि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार ने 2021, 2022 और 2023 में धान की कटाई के मौसम के दौरान धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार की थीं;

9. जबकि, 2021, 2022 और 2023 के दौरान क्षेत्रीय अनुभव और सीखों के आधार पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिले) के लिए कार्य योजनाओं को 2024 के लिए और अद्यतन किया गया;

10. जबकि, उपर्युक्त अ तन कार्य योजनाओं की मुख्य विशेषताएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा 15 2024 को आयोजित पूर्ण आयोग की बैठकों में प्रस्तुत की गईं और आयोग ने संबंधित कार्य योजनाओं को मंजूरी दी;

11. जबकि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को 11.04.2024 को सांविधिक निदेश संख्या 80 जारी किया है जिसके तहत 2024 के लिए संबंधित कार्य योजनाओं को अक्षरशः प्रभावी रूप से लागू किया जाए,

12. जबकि, उपरोक्त निर्देशों में धान की पराली के प्रबंधन के साधनों के बारे में विस्तार से बताने के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ धान की पराली जलाने को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में निम्नलिखित प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों का भी आह्वान किया गया है:

    क. आईईसी/संवेदीकरण गतिविधियों का बढ़ा हुआ स्तर।
    ख. कड़ी निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए नोडल/क्लस्टर/ग्राम स्तर के अधिकारियों की समय पर तैनाती।
    ग. मानक इसरो प्रोटोकॉल के अनुसार खेतों/क्षेत्रों की पहचान और निरीक्षण के लिए तंत्र, जहां धान की पराली जलाई जाती है, यदि कोई हो, और ऐसे खेत अभिलेखों में लाल स्याही-प्रविष्टियाँ/जवाबदेही सुनिश्चित करना, जिसमें निर्धारित ई.सी. लगाना और वसूलना शामिल है।

13. जबकि, 2024 के लिए कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में, पंजाब सरकार में सभी संबंधित हितधारकों के साथ समय-समय पर विभिन्न परामर्श और समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हैं, जिनमें क्रमशः 18.09.2024 और 19.09.2024 को उपायुक्त और राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शामिल है।

14. जबकि, विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान, पंजाब और हरियाणा में राज्य सरकारों ने धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई;

15. जबकि, 2024 के दौरान आग की घटनाओं को लक्षित तरीके से समाप्त करने के बावजूद, 15 सितंबर से 9 अक्टूबर, 2024 की अवधि के दौरान क्रमशः पंजाब और हरियाणा राज्यों से कुल 267 और 187 धान अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं;

16. जबकि, आयोग ने धान की कटाई के मौसम के दौरान समय-समय पर इस प्रवृत्ति को तुरंत रोकने और विभिन्न गांवों/ब्लॉकों के लिए पहचाने गए नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपते हुए उचित और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र शुरू करने का आह्वान किया है;

17. जबकि, आयोग ने 25.09.2024 को पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से धान की पराली जलाने के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 12.04.2024 के निर्देश संख्या 80 को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया था;

18. जबकि, धान की पराली जलाने के लक्षित उन्मूलन की दिशा में कार्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के स्तर पर नहीं हो रहा है;

19. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2)(XI) के तहत, आयोग को किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का विशेष अधिकार देता है, जो ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा;

20. जबकि, अधिनियम की धारा 14 यह भी निर्धारित करती है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान, नियम, निर्देश या आयोग द्वारा जारी आदेशों का कोई भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन अपराध माना जाएगा;

21. जबकि, आयोग ने धान की पराली जलाने की घटनाओं की संख्या के कारण उत्पन्न स्थिति को गंभीरता से लिया है और पाया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में धान की पराली जलाने की रोकथाम के लिए उचित प्रवर्तन उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है;

22. जबकि, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी उचित आदेशों के माध्यम से, खेतों में धान और अन्य कृषि पराली को खुले में जलाना पहले से ही प्रतिबंधित गतिविधि है।

23. अब, इसलिए, धारा 14(2) के तहत आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपायुक्त/ जिला

कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट, अधिकारियों के संबंध में निष्क्रियता के मामले में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत / अभियोजन दायर करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षी अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी शामिल हैं, जो अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में धान के ठूंठ को जलाने के उन्मूलन के लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

24. जिला प्रशासन और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे धान के ठूंठ को जलाने के उन्मूलन के लिए निरंतर और सख्त निगरानी बनाए रखें।

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव
फोन न. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, छठी मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय- 1, सेक्टर-1, चंडीगढ़- 160001.

2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1,

चंडीगढ़- 160001.

3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, यू.पी. सिविल सचिवालय, विधानसभा मार्ग, लखनऊ- 226001.

4. मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली- 1 10001

5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर- 302005.

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव